संख्या-462/2017/646/22-2-2017-17(116)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार (नारी बन्दी निकेतन) लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी पौधारी उर्फ फैदारी पत्नी श्री नरायन साहनी निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार (नारी बन्दी निकेतन) लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी पौधारी उर्फ फैदारी पत्नी श्री नरायन साहनी, निवासी-म0नं0 27/82 जगतगंज, थाना-चेतगंज, जनपद-वाराणसी की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा ससुराल में हिस्से की मांग को लेकर दिनांक 26.07.11 को महिला बन्दी ने अपने 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला श्रीमती बेवी की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-694/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-6, वाराणसी के आदेश दिनांक 21.10.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 18.10.2016 तक 05 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 07 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी की 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रही है तथा 01 अन्य सहअभियुक्त जेल से रिहा हो चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि महिला बन्दी की 01 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी पौधारी उर्फ फैदारी (बन्दी संख्या-2176) पत्नी श्री नरायन साहनी निवासी जनपद-वाराणसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-462/2017/646/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार (नारी बन्दी निकेतन) लखनऊ ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in